संख्या–561 /XXVIII–5–2012–111/2003

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून, दिनांक: मई, 2012

चिकित्सा अनुभाग– 5

विषयः संयुक्त चिकित्सालय सतपुली, जनपद पौड़ी गढ़वाल के निर्माणाधीन कार्यो हेतु पुनरीक्षण आगणन की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–7प/1/सं0चि0/41/2005/967 दिनांक 09.01.2012 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–406/XXVIII-3-2005–111/2003 दिनांक 24.03.2005 तथा शासनादेश संख्या–1248/XXVIII-3-2009–111/2003 दिनांक 20.10.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय सतपुली, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत लागत ₹347.21 लाख के सापेक्ष आंकलित पुनरीक्षित आगणन ₹402.61 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹371.32 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹347.21 लाख के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि ₹24.11 लाख (रूपये चौबीस लाख ग्यारह हजार मात्र) सॉफ्टवेयर संख्या–S1205121040 के अनुसार अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि संलग्न आहरित कर कार्यदायी संस्था, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, पौड़ी को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण कर भवन विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा। विलम्ब हेतु किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को शीघ्रातिशीघ्र समयबद्ध ढंग से पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 05–तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा निर्माण, 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–15(पी)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 14.05.2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नः–सॉफ्टवेयर प्रति।</u>

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

<u>संख्या– 561(1)/XXVIII–5–2012–111/2003 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
4– अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
5– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव